



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G10181/ATR/OA-521/2023/2024

दिनांक:-

Date: 13/02/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of action taken report in pursuant to order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 521/2022 Sampurna Nand V/s. State of U.P.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 in the matter of O.A. No. 521/2022 Sampurna Nand V/s. State of U.P., the action taken report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.


Regional Officer
Sonbhadra.

Action Taken Report pursuant to order dated 08.01.2024 and dated 17.10.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No. 521/2022 Sampurna Nand Vs. State of U.P. & Ors.

1. Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 521/2022 Sampurna Nand Vs. State of U.P. & Ors, vide its Order dated 17.10.2023 instructed as following:-

....."4. Vide order dated 26.09.2023 (i) respondent no. 40- M/s R.K. Construction Company and respondent no. 3-UPPCB were directed to submit copies of the relevant documents regarding compliance with EC/consent conditions/recommendations of the Joint Committee/CSR and Environment Management Programmes, (ii) compliance affidavits were O. A. No. 521/2022 Sampurna Nand Vs. State of U.P.&Ors. -3- ordered to be filed by the respondents no 5 to 9, 11, 13, 14, 17 to 26, 30 to 37, 39, 40, 42 and other respondents mentioning in detail the compliance in consonance with EC/consent conditions and recommendations of the Joint Committee and action plan with specific timelines about compliance regarding CSR and Environment Management Programmes to be made by them and (iii) Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur were directed to verify the compliance made and submit verification report.

.....10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary,



UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

.....11.The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....13.List for further consideration on 08.01.2024....."

2. That in compliance of Hon'ble NGT directions, Joint Committee members were nominated by the District magistrate, Mirzapur vide Letter No. 6488/M.M.C-30/Khanij/2023-24 dated 16.11.2023.
3. That the committee members had conducted the field visits on dated 28.12.2023, 29.12.2023 and 30.12.2023 to find out the factual position of compliance status with respect to EC/CTO conditions of the 26 stone crushers and 40 mining leases projects. Out of 26 stone crushers, 23 stone crushers have valid CTO from the UPPCB and out of 40 sand stone mining leases, 37 units have valid CTO from UPPCB.
4. That District Administration, Mirzapur has filed the report of Joint committee on dated 06.01.2024. After reviewing the joint committee report, Hon'ble NGT has passed the order dated 08.01.2024. The relevant part of the order is reproduced as below:-

"5.....we also consider personal appearance of the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, the District Magistrate, Mirzapur and the

Regional Officer, UPPCB, Regional Office, Mirzapur (Physically or through VC) on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.

6. A copy of this order be forwarded to Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, District Magistrate, Mirzapur and Regional Officer, UPPCB Regional Office, Mirzapur by email for compliance.....”

5. As per the recommendations made by Joint Committee report dated 06.01.2024, UPPCB has issued Show Cause Notices to all 26 Stone Crushers and 40 Mining Leases under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide Letter dated 12.01.2024. The copy of show cause notices are attached herewith and marked as Annexures No.-1 & 2.
6. That all Show-Cause Notices are addressed to concerned Industries/Mining leases project and copies to 'Regional Officer'(RO), UPPCB, Sonbhadra with the direction to submit Inspection/Factual Report.
7. That in compliance of direction received from Head Office, UPPCB, Lucknow vide letter dated 12.01.2024, all Show-causes were got received by UPPCB official to concerned Stone Crushers and Mining Leases on dated 19.01.2024 and 20.01.2024. Receiving copies are attached herewith and marked as Annexures-3.



8. That Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra has carried out the site inspection of 26 Stone Crushers on dated 08.02.2024 and UPPCB officials of Regional Office has carried out site inspection of 40 mining leases on dated 09.02.2024.
9. That it is submitted that as per the available records and facts observed during visit, it was found that 21 Stone crushers were not complying with the conditions imposed in 'Consent to Operate' (CTO). Further, it was also observed that 40 Mining Leases were not complying with conditions imposed in CTO.
10. That it is submitted that as per observation found during site visit and records available in the office, the Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra has revoked the CTO of 18 Stone Crusher units out of 21 non-complying Stone Crushers as rest 03 Stone Crusher have already not valid CTO. The copies of CTO revocation letters are attached herewith and marked as Annexures-4.
11. That after revoking the CTO, the Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra had sent inspection report of 21 non complying Stone crushers to Head Quarter, Lucknow with recommendation to confirm the Show-cause notices and impose the Environmental Compensation for defaulting period vide letters dated 08.02.2024. The copy of letter dated 08.02.2024 is attached herewith and marked as Annexures No.-5.
12. That the Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra have sent inspection report of 40 Mining Leases to Head Quarter, Lucknow with recommendation to confirm the Show-cause notices and impose the Environmental Compensation for



defaulting days vide letter dated 09.02.2024. The detail is attached herewith and marked as Annexures No-6.

13. As per observations on during visit and available records in the office, it has been found that 05 Stone Crushers out of 26 Stone Crushers were complying with conditions imposed in CTO. The details are as follows:-

S.N.	Name and address of the Stone Crusher Units	Complying Status	
		CTO Valid upto dated	Status
1.	M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, VILLAGE-SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR.	31.07.2026	complying
2.	M/S P.N.C. INFRATECH LTD, VILL.-SONPUR, CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR.	31.07.2026	complying
3.	M/s R.K. CONSTRUCTION COMPANY.,VILL.-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR.	31.07.2027	complying
4.	M/s ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS), VILLAGE-BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	31.07.2025	complying
5.	M/s JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	31.07.2025	complying

However, the action has been initiated to impose the environmental compensation for past violation and defaulting days on above 05 stone crushers as per recommendation made by Regional Officer UPPCB, Sonbhadra.



Summary of this matter:

1. Presently, 05 out of 26 Stone Crushers have upgraded Pollution Control measures and are complying with conditions imposed in CTO. However, the action has been initiated to impose the environmental compensation for past violation and defaulting days on above 05 stone crushers as per recommendation made by Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.
2. The closure has been initiated against 21 out of 26 Stone Crusher under the section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).
3. The closure has been initiated against all 40 Mining Leases under the section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).
4. The action has been initiated to impose the environmental compensation for past violation and defaulting days on above 25 stone crushers and 39 mining leases as per recommendation made by RO. One mining lease has not been operated since start.

The above Action Taken Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 19.02.2024


19/02/2024

(U.K. Gupta)

Regional Officer

U.P. Pollution Control Board,

Sonbhadra



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H05669/सा-2/NGTNO-67/SCN/24

दिनांक

Date 12/1/24

पंजीकृत

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालनरत पाया गया एवं उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जंगहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6054

संदर्भ सं०

Ref. No. 105674 / C-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में

दिनांक

Date 12/1/24 पंजीकृत

M/S MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरूपित कर दी जाए।

उपरोक्त के सबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **H05679/C-2/NG-67/SCN/24**

सेवा में,

दिनांक

Date **12/11/24**

पंजीकृत

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C./12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गंगती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 1405676/C-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में,

M/S P.N.C. INFRATECH LTD,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date 12/11/24

पंजीकृत

यह कि उद्योग M/S P.N.C. INFRATECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S P.N.C. INFRATECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

P.O. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No

सेवा में

H-5667/सं-2/NGT NO-67/S.C.N/24

दिनांक

Date

12/12/23

बंजीकृत

M/S S.U. ENTERPRISES,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ब्रिच के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालनरत नहीं पाया गया एवं उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिगत एवं जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध पूर्व उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरूपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

5 - 226 010

: 0522-2720828, 2720831

: 0522-2720764, 2720676

: info@uppcb.com

ई : www.uppcb.com

I.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6058

संदर्भ सं०

Ref. No. HS678 /C-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12/1/24

सेवा में,

पंजीकृत

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T. C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं/0

Ref. No

सेवा में

H/05677/सा-2/MGT NO-67/SCIV

दिनांक

Date ...12.11.24.....

पंजीकृत

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S IDEAL VISIONS, ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S IDEAL VISIONS, ARAZI, NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T. E. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. ...H05682-K-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में

दिनांक

Date ...12/11/23.....

पंजीकृत

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वरथ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. / 40568 / C-2 / NGIT-67 / SCN / 24

सेवा में

दिनांक

Date ... 12/11/24 ...

पंजीकृत

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6062

संदर्भ सं०

Ref. No. HOS/680-1C-2/NGIT-67/SCN/24

दिनांक

Date ... 12/11/24

सेवा में

पंजीकृत

M/S R.K. CONSTRUCTION CO.,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S R.K. CONSTRUCTION CO., VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S R.K. CONSTRUCTION CO., VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टीसी - 12 वी, किर्गूत खण्ड, गोगती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **405679** / C-2 / NGT-67 / SCN / 24

सेवा में

दिनांक

Date: 22/12/2023

पंजीकृत

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, UOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. /105692/c-2/NGR-67/SCN/24

सेवा में,

दिनांक

Date 12/1/24

पंजीकृत

M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

P.O. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone Closure order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **HC5690-1C-2/NG17-67/SCN/24**

सेवा में,

दिनांक

Date **12/11/24**

पंजीकृत

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संरतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के सबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6066

संदर्भ सं०

Ref. No. HOS609 IC-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date ...12/12/23.....

पंजीकृत

M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS)
BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

IC-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

दिनांक

Ref. No. /10569/C-2/NGT-67/SCN/24

Date 12/1/24

सेवा में

पंजीकृत

M/S ELITE STONES,
BHAGAUTI DEL. PATHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ELITE STONES, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ELITE STONES, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6068

संदर्भ सं०

Ref. No. **1105288** / C-2/WGIT-67/SCN/24

दिनांक

Date **12/1/24**

पंजीकृत

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 की, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. HO5607 / C-2/NGIT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12/1/24

पंजीकृत

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वरथ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6070

संदर्भ सं०

Ref. No. **H05686** - K-2/NG-7-67/SCN/24

सेवा में,

दिनांक

Date **12/1/24**

पंजीकृत

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL, ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 की, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

दिनांक

Date

1705668/ए-2/MGT NO-67/S.C.N./24 Date 12/1/24 पंजीकृत

M/S RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग में राज्य बोर्ड से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रेनोवेसन का कार्य किया जाता पर्याप्त रूप से उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिगत एवं जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6072

संदर्भ सं०

Ref. No. /705605-1-2/NCVT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 की, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T. C. V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 105604/C-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में

दिनांक

Date 12/12/23

पंजीकृत

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

G.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6074

संदर्भ सं०

Ref. No. HOS 603/c-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में

दिनांक

Date

पंजीकृत

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR

दिनांक

Date

12-1-24

पंजीकृत

यह कि उद्योग M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आम उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सरतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S NEW ASHATBHUJA STONE, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगली नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T. C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6076

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H/OS-672/सं-2/NGT NO-67/SCM/24

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEL. PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL, PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

दिनांक
Date 12-1-24 पंजीकृत

M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6078

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

105670/सं-2/MGT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, BHAGAWT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, BHAGAWT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 MI, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, BHAGAWT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदरनें सऱु

Ref. No H05730/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा मे,

दिनांक

Date - 12.01.2024

मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय,
निवासी-बाकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बाकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 730 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आल्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बाकेलाल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 730 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संघालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अथवा हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05693/ C-2/NGT-67/SCN/2024

शेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह,
निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिसमें स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सहान अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 19/1

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 वी विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com





संघर्ष सं०

Ref. No H05694/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो०- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो०- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जानहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो०- पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम से उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी -12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

संखनक - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6082

संदर्भ सं.

Ref. No H05695/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह,
निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौडी), पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौडी), पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लियरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौडी), पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का दिच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अचधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका वन होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05696/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर,
अहरीरा, तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरीरा, तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहनति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नरायन सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरीरा, तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड ने प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की मुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संका में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6084

संदर्भ सं०

Ref. No H05731/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह,
निवासी-म०स०-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा,
चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी

दिनांक

Date . 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म०स०-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-म०स०-जे-12/15,एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
 2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
- उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अयधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोरमी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gorami Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05697/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर,
तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोद-गोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अबधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपसन्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, सं० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gornti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05698/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा

यह कि खनन पट्टाधारक मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



संदर्भ सं०

Ref. No H05699/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा
पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत रक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहारा पोस्ट- पीला कोठी, थाना-कोतवाली कर्वा, जनपद-चित्रकूट द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
 2. यह कि क्यों न रक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
- उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सहम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6088

संदर्भ सं०

Ref. No H05700/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर दुन्डा
शुमाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली

यह कि खनन पट्टाधारक मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर दुन्डा शुमाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह, निवासी-ग्राम-हरहरपुर दुन्डा शुमाली, थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05701/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date - 12.01.2024

मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय बर्तार एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राक्कानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्ति कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

सी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6090

संदर्भ सं०

Ref. No H05702/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी,
राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

संदर्भ सं०

Ref. No H05703/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-मो०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंपट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंपट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-मो०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंपट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंपट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आधापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मो० शमशाद पुत्र मो० इलियास, निवासी-मोहल्ला-मो०नं०-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड कसाई वार, सदर कैंपट, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा, थाना-कैंपट, तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संघालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संघर्ष में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppccb.com

वेबसाइट : www.uppccb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppccb.com

Website : www.uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05704/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, गौटा हल्दू, तह०-लालकुर्जा, हल्दानी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, गौटा हल्दू, तह०-लालकुर्जा, हल्दानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-8 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-मुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपसन्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि सभ्यो न खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, गौटा हल्दू, तह०-लालकुर्जा, हल्दानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-8 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-मुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपसन्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को हस्त निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूत्त-2)

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05705/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-6 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कर्तव्यसे एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-6 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत गाइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया जो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लुधियाना - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Ludhiana - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6094

संदर्भ सं०

Ref. No H05706/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand NO.-7 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, स्थाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand NO.-7 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जो इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के राक्ष्य से उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गामती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05707/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद
यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली
मंडियाह, जनपद-जौनपुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाह, जनपद-जौनपुर द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कह जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपकी औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मंडियाह, जनपद-जौनपुर द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपकी उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपसे 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वीं विभूति खण्ड, गामती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6096

संदर्भ सं०

Ref. No H05708/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह०- सगढी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह०- सगढी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आस्था में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संवाहित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तह०- सगढी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना रपटोकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05709/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024.

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर,
तह0- सगडी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र
श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत
सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगडी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं0 737 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे जागे उद्योग कहा जावेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथाराशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय बलीयरेस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहभति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षेपक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथाराशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर, तह0- सगडी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो0-51ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं0 737 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6098

संदर्भ सं०

Ref. No H05710/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर,
राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र

दिनांक

Date . 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आद्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, निवासी- कम्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली बिद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





सदरन सं०

Ref. No H05711/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री निवेश पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मोठ-मटवा
के पोखरी, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री निवेश पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मोठ-मटवा के पोखरी, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण सम्युक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री निवेश पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी मोठ-मटवा के पोखरी, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संघालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6100

संदर्भ सं०

Ref. No H05712/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद

दिनांक

Date: 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय फलीफेरस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सारतुति की गयी है।

अतः जगहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि वयो न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि वयो न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि वयो न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05713/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (Khasra No. 40) (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत राहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (Khasra No. 40) (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को गिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमन्न को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6102

संदर्भ सं०

Ref. No H05732/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर।

दिनांक

Date, 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० Araji No. 3 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-चकजाता तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथाराशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई का संचालन बन्द पाया गया एवं इकाई को निर्गत लीज दिनांक 12.03.2022 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उद्योग को बंद सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिगत एवं जनहित में जन सामान्य को स्वरथ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० Araji No. 3 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-चकजाता तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर माइनिंग कार्य को यथावत् बन्द रखे जाने हेतु बन्दी निर्देश जारी कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग को अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





संदर्भ सं०

Ref. No H05714/ C-2/NGT-67/SCN/2024

दिनांक

Date . 12.01.2024

सेवा में,

श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी
मौ०-रमेडी तरास, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी
प्रसाद वर्मा, निवासी म०न०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग,
थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मौ०-रमेडी तरास, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी म०न०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 497 and 198 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर चकजाता तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मौ०-रमेडी तरास, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी म०न०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, थाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 497 and 198 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर चकजाता तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी का अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6104

संदर्भ सं०

Ref. No H05715/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री
घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनमद्र

यह कि खनन पट्टाधारक श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनमद्र द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आकाणिक प्राधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताने नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनमद्र द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपप्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताने नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताने नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gornti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05716/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार

यह कि खनन पट्टाधारक श्री सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 18 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय बलियदेस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सल्लुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 18 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अन्धि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संकाय में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वीं विभुति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6106

संदर्भ सं०

Ref. No H05717/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार

यह कि खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 21 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताने नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 21 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अघि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरे 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्थायीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताने नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताने नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





संघर्ष सं०

Ref. No H05718/ C-2/NGT-67/SCN/2024

दिनांक

Date: 12.01.2024

सेवा में,

श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खॉं, निवासी ग्राम-रसूलपुर,
थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खॉं, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खॉं, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05719/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चैनारी, रोहतास, बिहार

यह कि खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चैनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 20 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षेपक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चैनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 20 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम में उद्योग का अव्यक्त निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05720/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही,
पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-भीरजापुर

यह कि जनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-भीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial NO. 19 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सरतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-भीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial NO. 19 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6110

संदर्भ सं०

Ref. No H05721/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही,
पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 28 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसाही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 28 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 बी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05722/ C-2/NGT-67/SCN/2024

रोप में

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अघवार,
जनपद- मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अघवार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रतीयरस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं गया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त गिम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अघवार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पाटीकरण इत्त पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

हो.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,

संजानक - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6112

सर्वम सौ

Ref. No H05723/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र
स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनमद

यह कि खनन पट्टाधारक मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनमद द्वारा गाटा सं० 157 (लीज एरिया 400 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनमद द्वारा गाटा सं० 157 (लीज एरिया 400 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संका में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C- 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com





संदर्भ सं०

Ref. No. H05724/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र
स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-०५, इनसाइड
गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना मट्टी कोलार रोड, भोपाल (५०५०)

यह कि खनन पट्टाधारक मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-०५, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना मट्टी कोलार रोड, भोपाल (५०५०) द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति जी आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवासी प्लाट नं०-०५, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना मट्टी कोलार रोड, भोपाल (५०५०) द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपकी उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरिपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संका में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभुति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05725/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में

मे० मॉ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-बुनार, जनपद-गौरजापुर

दिनांक

Date . 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक मे० मॉ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-बुनार, जनपद-गौरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद-गौरजापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सट्टागत शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गयी है।

अतः जगह में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० मॉ शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितर सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-बुनार, जनपद-गौरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद-मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
 2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।
- उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्रवाही बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्ता कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सख्त में उद्योग को अवधान निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

ट्राई - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दुर्भाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khanil, Gouti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05726/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री
विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर,
जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पेटटाधारक मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आरक्षणानुसार निरीक्षण के समय खनन पेटटा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संरतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की संकथाम हेतु संघालित होने से रोजा जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पेटटाधारक मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संकाय में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6116

संदर्भ सं०

Ref. No H05727/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा,
निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-गोरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-गोरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आल्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरमउवा, नकहरा, जनपद-गोरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरुपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
फ़ोन : 0522-2720828, 2720831
फ़ैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05728/ C-2/NGT-67/SCN/2024

दिनांक

Date: 12.01.2024

सेवा में,

श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार,
जनपद- मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 170 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिससे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं गया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 170 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोरगी नगर,

लखनऊ - 226 010

फ़ोन : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6118

संदर्भ सं०

Ref. No H05729/C-2/NGT-67/SCN/2024

संज्ञा में,

मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री
वैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्बोसिया अपार्टमेंट, लंका,
जनपद-वाराणसी

दिनांक

Date . 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्बोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्रामक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा०लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी- 51415।ए अम्बोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अयधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपप्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

6119

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक—G0028/O.A. No. 521/2022/2024 दिनांक—16.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ जनपद—मीरजापुर के 40 माइनिंग लीज एवं 26 स्टोन क्रशर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न करते हुये अधोहस्ताक्षरी को नोटिस की प्रति तत्सम्बन्धी उद्योगों/खनन परियोजनाओं के प्राप्त कराने के निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक—19.01.2024 एवं 20.01.2024 को उद्योगों/खनन परियोजनाओं पर उपस्थित प्रतिनिधियों को कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त करायी गयी। कुछ स्टोन क्रशर/माइनिंग लीज पर किसी प्रतिनिधि के उपस्थित नही होने की दशा में नोटिस चस्था की गयी। प्राप्ति सम्बन्धी प्रति पत्रावली के साथ अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

~~क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,~~

[Handwritten Signature]
20/01/2024

[Handwritten Signature]
20/01/24
(कं०कं० मौर्या)
वैज्ञानिक सहायक



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6120

संदर्भ सं०
Ref. No.
सेवा में

H05669/स/2/NGTNO-67/SCN/24

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त बंशित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आस्थानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालनरत पाया गया एवं उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित माइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध राहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनापरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ABHIYAN CONSTRUCTION, CHAKJATA, AHRAURA CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

मिर्जापुर
20/1/2024
3739 886835

P.C. - 17, V. Vibhuti Khanda, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

6121



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा सं०

A/05674-1C-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date - 12/1/24

पंजीकृत

M/S MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आम तौर पर कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 29.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सक्षमता शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया में जलित जल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न तत्काल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को बिल्टन वाली निम्न आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचना क्र. 2/2016 जारी की जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी बंद करण बताने नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी. - 12 वी, किर्ति खण्ड, माफती नगर,
सखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com



प्राप्त किया

Birendra Nath
19/1/24

Birendra Nath - Manager

6392750754

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
T.C. 12 V, Kirati Khanda, Maafati Nagar,
Sakhanu - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 6122

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No. **H05879/2024/NGT-67/SCN/PM**

सेवा में

दिनांक

Date: **4/2/24**

प/मि/प्र

M/S MAHAKAL MINING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAL, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAHAKAL MINING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAL, CHUNAR, MIRZAPUR आगे उद्योग कहा जाएगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की अख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्देश सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयां हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किए गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा उद्योग क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह आदेश है कि उद्योग को उद्योग संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमानाधारित निम्नानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAHAKAL MINING & CONSTRUCTION, SONPUR, BHAGWAL, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिभारित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना साफीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी (मुख्य पर्यावरण अधिकारी)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ 2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम के अंतर्गत सख्त स्तर से भी कारनाम बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के साथ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हॉटलिन - 12 डी, विभूति खन्ड, गानगी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
आकाश सिंह
20/1/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ 2)
12 D, Vibhuti Khand, Ganga Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं.

Ref. No. H/05676/C-2/NOIT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12/11/24

पंजीकृत

M/S P.N.C. INFRA TECH LTD,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S P.N.C. INFRA TECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आज उद्योग कला जागमग स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्वयं पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्मित सख्तियों प्राप्त की अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयो हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31-ए यथासशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र जो वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण-व्यतर्ज नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यो न उद्योग M/S P.N.C. INFRA TECH LTD, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यो न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलन वाली जल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यो न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के समक्ष में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपग्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जो उद्योग बलाओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति-एव जारी करण बलाओ नोटिस के तहत में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गंगा नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

Received 17/11/23
9:09 PM
CRD Singh
store
9690010034

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
P.O. 12 V. Vibhuti Khond, Ganga Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

6125

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

MS678-1C-2/1NGT-67/SCB/24

दिनांक

Date 12/11/24

कॉपीकृत

M/S UMA STONE WORKS,

ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन चिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थित स्थल पर स्थापित/स्थापित तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उच्च उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुसूचीनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S UMA STONE WORKS, ARAZI NO 140.57 ka, SONPUR, BHAGWAT, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संवध में अपना रणनीतिकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुसूचीनुसारानुसार नियंत्रण

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपग्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र की इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के दिनांक में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

T.C. 12 V, Vibhuti Khanda, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6126

संकां रज

Ref. No

सेवा में

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date 12/11/23

पंजीकृत

यह कि उद्योग M/S IDEAL VISIONS, ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित अल्प उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S IDEAL VISIONS, ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन प्रवृत्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोषित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, UOPD प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अधस्तन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

C.T. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720811
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppccb.com
Website : www.uppccb.com

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppccb.com
वेबसाइट : www.uppccb.com

(Security)

Singh Kumar

19/01/2024

3:40 PM

8528792811



सदस्य सं. Ref. No.

सेवा में. HOS 682-K-2/NAT-67/SCN/24

दिनांक

Date... 12/1/24

पंजीकृत

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आम उद्योग कहा जायेगा, स्टोन पिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये गिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या ने समिति द्वारा सख्त क्रशर इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सन्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिवसुली वसूली जाए।

उपरोक्त को समझ में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के समझ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

Dr. K. V. Vibhuti Khatri, Gomti Nagar,
Lucknow-226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

टी.सी - 12 की विभूति खण्ड, गौमती नगर
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रति लिपि
Mukesh Singh

19.01.24

9560984062



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6128

संदर्भ सं०

Ref. No. 40560/1-C-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date 30/12/23

पत्नीकृत

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR जिले आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ब्रिड के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित अथवा कार्य (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-गिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सख्तता शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयाँ हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित अस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज़ापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सख्तता की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सख्तता को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्तता स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कार्रवाई बताने वाली जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सख्तता अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को गिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त को अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपकी उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 8250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के साथ में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सहाय अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, गिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपने स्तर से भी कारण बताने मोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताने मोटिस के सख्तता न उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

M. Vibhuti Khairi, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 की किर्करी खण्ड, सोनभद्र नगर,

संखनक - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

28/12/2023
for receive
By Nulost



संदर्भ संख्या

Ref. No.

सेवा में

A/05680/10-2/11667-29/SCN/24

दिनांक

Date: 17/1/24

पुणे

M/S R.K. CONSTRUCTION CO.,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHILNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S R.K. CONSTRUCTION CO., VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHILNAR, MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (पश्चाराशोधित) की धारा-60 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित माइडलार्डिंग के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनिता इतना उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के आशापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में संशोधित/नए क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सारतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का उद्देश्य से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 पश्चाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आशापक अधिनियम संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 पश्चाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सहम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि वही न उद्योग M/S R.K. CONSTRUCTION CO., VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHILNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि वही न सहम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि वही न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना समझौताकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका कर लेगा।

सहम अधिकारियों के अधिनियम-1981 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूल-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपग्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनपद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूल-2)

Vibhuti Khand, Gumbi Nagar,
Lucknow-226010
Phone: 0522-2720828, 2720831
Fax: 0522-2720764, 2720676
E-mail: info@uppcb.com
Website: www.uppcb.com

सी.सी. - 12 बी, विद्युत सण्ड, गोगरी नगर,
संखनक - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि
संशोधित
19-1-24
6386265552



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6130

संदर्भ सं०

Ref. No. **H05679-1C-2/NGT-67/SCN/24**

सेवा में

दिनांक

Date: **22/12/24**

पंजीकृत

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARAGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARAGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आपने उद्योग कहा जायेगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थान पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यरत कंपनी है।

यह कि जनसद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरांत निरीक्षण के समय उद्योग का कोई दाय निर्यात प्रकृति नहीं था अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईको हेतु कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रकृति से उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि आपके उद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनापरान्त निम्नानुसार कार्यवाही करायी जा रही है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARAGANA BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को बन्द करने के लिए आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन जमाना हेतु कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिव्ययित कर लिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों को पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त निम्न

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, ज०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जो कठोर बतानो नोटिस को प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी करण बतानो नोटिस को संकलन में लाना का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी. - 12 बी, विभूति बाण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 225010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

Handwritten signature and date
19/01/2024
0522275104

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)
C. P. V. Viduthi Chand, Ganga Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा नं०

HOS6921c-2/NGIT-67/SCN/24

दिनांक

Date 19/11/23

पंजीकृत

M/S P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD.
UNIT-04, VILL-SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR

यह कि उद्योग M/S P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसमें जल उद्योग कक्षा जायेगा, स्टोन फिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कारखाना है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बार्ड द्वारा जितना सहमति देनी का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित माइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., UNIT-04, VILL-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR में संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलने वाली जल आपूर्ति एवं जल अपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित करने का कार्य जारी किया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्रवाई तथा नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वीं, विनोदि खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रपत जिया भोलायाइन

भोला यादव

सुरी

8127727170

टीसी - 12 वीं, विनोदि खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 6132

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **HC5690/C-2/NGT-67/SCN/24**

सेवा में

दिनांक

Date **12/12/24**

पृष्ठीकृत

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD. (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन क्रिटर के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रदूषण से निवारण हेतु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही विन्ये जाने की शरतुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपको औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त विन्यानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD (FORMELY P.B.R. INFRA TECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03), VILL.-SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का निच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अतिरिक्त कर दी जाए।

उपरोक्त के समय में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

(Handwritten signature)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सवाल में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(Handwritten signature)

टीसी -12 वी, किर्ति खण्ड, गाम्भी नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
डुर्गा शर्मा
12/11/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)
112 V, Viharib Khand, Gampah Nagar,
Lucknow 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

25/165217

संदर्भ सं०

Ref. No.

H05609-IC-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date - 12/1/24

पंजीकृत

M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS)
BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, स्टोन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त स्थान पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा-30 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जित के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग की वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार चरण बतलाया जा रहा है:-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपको उद्योग के विरुद्ध उत्सर्जन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 8250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराशित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त करावे हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वीं विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

आदेश प्रेषित
माना बिना
19/01/24

12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

दिनांक

Ref. No. **10569/K-2/NGA-67/SEN/24**

Date **12/1/24**

पुलित

M/S ELITE STONES,
BHAGAUTI DEL. PATHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ELITE STONES, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आम तौर पर कहा जायगा, स्टोन ग्राइट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण सम्युक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

सम्युक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या ने समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपका आकांक्षित संबन्ध को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ELITE STONES, BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

राक्षस अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपन स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)

सं० - 12 वीं किमुते खण्ड, गंगती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त
20/1/24
20/1/24
9336163971

T.C. 32 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

संदर्भ सं०

Ref. No. **MOS/88-IC-2/10611-67/SCN/24**

दिनांक

Date: 12.12.2023

पृ. सं.

संवा में

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEL. CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. जिसका उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ब्रिच के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति प्रती का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन्स के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया में वर्तित होने पर उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य क्रियान्वित करके आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आडोपक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया निरीक्षण की प्रकृत्या न्यायिकता द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपको आदेशित समय को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरोक्त विन्यानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलने वाले विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग के सचय में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका हो सकेगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरोक्त विन्यानुसार

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (जुला-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सचय में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (जुला-2)

टीसी - 12 की, विभूति राय, सामाजी नगर,
सखनक - 226-010
दूरभाष - 0522-2720828, 2720831
फैक्स - 0522-2720764, 2720676
ई-मेल - info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

यातायात
Dumrahal
M. N. 7838 952156
20-01-2024

T. C. - 12 V, Vibhuti Raod, Samajee Nagar,
Lucknow 226-010
Phone - 0522-2720828, 2720831
Fax - 0522-2720764, 2720676
E-mail - info@uppcb.com
Website - www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **H05607-1C-2/NGT-67/SCN/24**

सेवा में

दिनांक

Date **12/11/24**

प्रतिष्ठित

M/S. NILAMA SINGH (EX. NAME- MS. MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGALTI DEL. CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S. NILAMA SINGH (EX. NAME- MS. MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGALTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त अधिसूचित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनमद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग का बोर्ड द्वारा निर्वात संचालन जारी था अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया में जल का उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की शोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S. NILAMA SINGH (EX. NAME- MS. MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS), BHAGALTI DEL. CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को संचालन प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का संचालन वाता 15 दिन की अवधि के लिए बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निर्मित

(Signature)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से की गये गये कार्यवाही नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी करण नक्का नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(Signature)

प्राप्त किया

Lab
दिनांक 11/12/24
लालू गाड़व मिर्जापुर

टी.सी. - 12 वी, विभूति क्लब, गान्धी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)
T.C. 12 V, Vibhuti Club, Gandhi Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6138

संदर्भ सं०

Ref. No.

संख्या नं०

1705668/सं-2/MGT NO-67/SCN/24 Date 12-1-24

दिनांक

Date

पंजीयक

M/S RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आज उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग में राज्य बोर्ड से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रेनोवेशन का कार्य किया जाता था तथा उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित माइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। वर्तमान में उद्योग का जल सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया निरीक्षण की आख्या के तदनुसार जगह में जन सामान्य को स्वस्थ यत्तावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र का वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR को संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराशित कर की जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपग्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के साथ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

1C-124, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टीसी - 12 डी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

सुचित किया
काठगढ़ सिंह

20-01-2024

9335405104

6139



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

1705605-K-2/MCT-67/SCN/24

दिनांक

Date 12-1-24

पृष्ठ सं०

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR

यह कि उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन फिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्मित सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाते हैं। कारखाने आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित की अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सलाह दी गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनापरायण निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली बिजली आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उत्सर्जन भक्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 5250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारियों को अनुमोदनापरायण निम्नानुसार

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूक्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूक्त-2)

टीसी - 12 की विभूति खण्ड, गांगुली नगर,
सखनऊ - 226010
सूचना : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppccb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

17-1-24

17-1-24

17-1-24

17-1-24

17-1-24

V. Vinod Kumar, Officer In-charge
UPPCB
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppccb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6140

संदर्भ संख्या

Ref. No. **1105604-K-2/WCOT-G7/SCN/24**

सेवा में

दिनांक

Date **12/11/24**

प्राप्तिका

**M/S SHIKHISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.**

यह कि उद्योग **M/S SHIKHISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR** द्वारा आने वाले स्लेट का स्टेन गिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त निर्दिष्ट स्थल पर स्थापित/संचालित हो गया है। (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (क्यासाशोधित) की धारा 30 के अन्तर्गत एक कार्यालय है।

यह कि जगन्नाथ-गिर्जापुर में स्थापित आपकी स्लेट कचरा इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को कोई भी नई निर्माण कार्यवाही या अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्लेट कचरा इकाई हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित साइडलाइन को अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से उत्पन्न उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिमूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यायक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्लेट कचरा इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए क्यासाशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सारस्वति ली गयी है।

अतः जगन्नाथ में जन्म सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 क्यासाशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 क्यासाशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग **M/S SHIKHISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR** की संचालन प्रक्रिया को सख्त प्रभाव से बच कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलन भावी किंग्स आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को सख्त प्रभाव से बच कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अथवा हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 8250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के साथ में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्मित

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, गिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जगन्नाथ से निम्नानुसार बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

G.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gumbi Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्तिका

वै. सं. सं.

19-1-2024

3415685591

6141



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदरन सं०

Ref. No.

सेवा में

HOS 603 IC-2/NGP-G7/SCN/24

दिनांक

Date

पंजीकृत

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन पिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सागान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपका प्रदूषण नियंत्रण को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE), BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संघ में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपको का होगा।

सहायक अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संघ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

V. Vibhuti Khari, Gantoli Nagar,
Lucknow-226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720876

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

टीसी - 12 की विभूति खण्ड, गान्धारी नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720876

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया

राजकुमार गुप्ता

7897678519

20-01-24

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में

HOS-672/सं-2/NGT NO-67/SCM 24 Date 12-1-24

दिनांक

पंजीकृत

M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसका उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुरार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित इनट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सख्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके आस्थापक संबंध को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाये। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S SHRI BAJARANG STONE, BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 8250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिविहित कर दी जाए।

उपरोक्त के संलग्न में अपना रपटीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार संचालित

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संलग्न में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आस्था 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T-12 V, Vibhuti Khand, Gonti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone - 0522-2720828, 2720831

Fax - 0522-2720764, 2720676

E-mail - info@uppcb.com

Website - www.uppcb.com

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया

Link Singh

19/01/2024

Link Singh

Manager

0522878988



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6144

संदर्भ सं०

Ref. No.

संवा. नं.

405671/सी-2/NGT NO-67/SCN/24 Date 12-1-24 पंजीकृत

दिनांक

M/S JAY MAJ DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEL. PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S JAY MAJ DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL. PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा यह (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को चोटें द्वारा निर्मित सहमति चोटों व अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाई हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया में जलित एवं उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आगके आदेशात्मक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताता नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S JAY MAJ DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL. PATHHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलन वारंश विद्युत् आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपको उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अपराध हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के साथ में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्मित

M

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सभी नगरपालिकाओं नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति एवं जारी कारण वक्तव्यों नोटिस के अन्तर्गत में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

M

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

Plot 717 V, Vilshuti Khand, Gombi Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

पीसी - 12 की विभूति खण्ड, गामली नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
Vivek Singh
20/1/24
9936518461

6145

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर स/0

Ref. No.

सेवा में

405670/रा-2/MGT-67/SCN/24

दिनांक

Date-12-1-24

पर्यावरण

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 ML, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, BHAGAWATI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 ML, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, BHAGAWATI, CHUNAR, MIRZAPUR, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट क उत्पादन हेतु व्यवसाय विधित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग का बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उच्च उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किन्तु बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सागान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्थ में यह आदेशक है कि उद्योग को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग का वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनापरायण निम्नानुसार कार्रवाई कार्यालय जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्या न उद्योग M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT), ARAZI NO. 704 ML, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, BHAGAWATI, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली डिजिटल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्वप्रीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनापरायण निम्न:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्रवाई बताने की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताने की प्रति उद्योग के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोंदी नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

Received
Griff
Subid-9454135447
19-01-24
Computer Operator

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gondi Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone - 0522-2720828, 2720831
Fax - 0522-2720764, 2720676
E-mail - info@uppcb.com
Website - www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6146

संदर्भ सं०

Ref. No. H05730/C-2/NGT-67/SCN/2024

संलग्न में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय,
निवासी-बाकेंताल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बाकेंताल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगीतौंडी तहसील-पुनर्, जिला-मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जावेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आठव्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहनशक्ति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आठव्यानुसार प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आठवा में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने की संसुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक मेसर्स सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री देवी प्रसाद पाण्डेय, निवासी-बाकेंताल टण्डन जी की गली, वासलीगंज, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगीतौंडी तहसील-पुनर्, जिला-मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस का आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अधिष्ठित हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरेखा 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का पर्यावरण निरीक्षण कर आठवा 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नोटिस संख्या
20/01/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H05693/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह,
निवासी-ग्राम-रामरसाही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसाही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहनति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की अवस्था में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जगह में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संघालित होने से रोकना जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुसूचनोपरोक्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री राजेश भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम-रामरसाही, पो०- पटिहटा, चुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।


उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अथवा हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनपर


प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अवगत निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6148

संदर्भ सं०

Ref. No H05694/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो- पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-गिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो- पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-गिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद-गिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जावेगा तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-गिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कंसीवनेस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आझापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक तंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सखन स्तर से अनुमोदनीपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री नीरज उपाध्याय पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय, निवासी-ग्राम व पो- पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-गिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद-गिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सखन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली दिशुत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसंचित कर दी जाए। उपरोक्त के संकेत में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अवगत उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सखन अधिकारी के अनुमोदनीपरान्त निम्न

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

1. जिलाधिकारी, गिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सखन से उद्योग का अखतल निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गामती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

आपकी निम्न
निर्णय उपाध्याय

20/1/24
मो - 7703008106

T.C - 12 V, Vibhuti Khanda, Gomat Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.:

Ref. No H05695/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह,
निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी) पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आदेशक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सत्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि अपने औद्योगिक गतिविधियों को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्रीमती विजेता सिंह पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-पटेल नगर (गरौड़ी), पो-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली सिद्धांत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरेखा 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार में भी उद्योग द्वारा नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अनुपालन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

जाय सिंह
अध्यापक
20/01/2024



संदर्भ सं०

Ref. No H05696/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नारायण सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरीरा, तहसील-धुनार, जनपद-मिर्जापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नारायण सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरीरा, तहसील-धुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित को अन्तर्गत कार्यवाही उभारे जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्य स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अमय सिंह पुत्र श्री जगत नारायण सिंह, निवासी-ग्राम-लालपुर, अहरीरा, तहसील-धुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० 705 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्य अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सख्य में उद्योग का अख्यान निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मृत्त-2)

6151



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05731/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह,
निवासी-मोसो-जे-12/15, एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा,
चेतगंज, सदर, जनपद-बाराणसी

यह कि खनन पट्टाधारक श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-मोसो-जे-12/15, एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-बाराणसी द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगातीदेई, सहसील-धुलार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कलेश एवम् बोर्ड द्वारा निर्गत सहस्रति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जितरी स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संचय को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक श्रीमती अमृता सिंह पत्नी श्री विशाल सिंह, निवासी-मोसो-जे-12/15, एच-3, बौलियाबाग, राम कटोरा, चेतगंज, सदर, जनपद-बाराणसी द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगातीदेई, सहसील-धुलार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन आदि हेतु जेन्टील प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिविहित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त जारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निरीक्षण के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

टीसी - 12 बी, किर्वात लक्ष्म, गोगडी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khunt, Gogadi Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Received by
20/01/2024

20/01/2024
25/01/2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05697/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर,
तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर

दिनांक

Date: 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आद्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्धन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री गंगा सागर सिंह, पुत्र श्री मेघवरन सिंह, निवासी-ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अथवा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संक्षेप में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

30.01.2024

6153



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H05698/ C-2/NGT-67/SCN/2024

दिनांक

Date: 12.01.2024

सेवा में,

मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा

यह कि खनन पट्टाधारक मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीसोदई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरन्स एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० जे०ए०एम० मार्बल एण्ड गिनरल्स, पा० श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर, तहसील-नरैनी, जनपद-बौदा द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीसोदई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली दिग्गुल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्पण हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपग्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी करना जायज नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के समय में उद्योग का आख्यान निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी - 12 बी, विभूति खण्ड, गंगोत्री नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

नोटिस संख्या
विभागा संख्या
19/01/2024

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Ganga Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6154

संदर्भ सं०

Ref. No H05699/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहार पोस्ट- पीला कोठी, धाना-कोतवाली कर्मी, जनपद-चित्रकूट

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहार पोस्ट- पीला कोठी, धाना-कोतवाली कर्मी, जनपद-चित्रकूट द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगीतीदेई तहसील-सुनार, जनपद-मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कमीशन एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अशोक कुमार मिश्र पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र, निवासी-ग्राम-बिहार पोस्ट- पीला कोठी, धाना-कोतवाली कर्मी, जनपद-चित्रकूट द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मगीतीदेई तहसील-सुनार, जनपद-मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिलेपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

यह कारक के नही मिलने पर नोटिस-वसूली किया जाना।
12/1/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



संदर्भ सं०

Ref. No H05700/C-2/NGT-67/SCN/2024

शेष सं०

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री० शाह पुत्र श्री जगज्ज अली शाह, गिवासी-घाम-हरहरपुर दुहा
शुभासी, शाना-बहेड़ी, जगज्ज-बरेली

यह कि खनन पट्टाधारक श्री० शाह पुत्र श्री जगज्ज अली शाह, गिवासी-घाम-हरहरपुर दुहा शुभासी जगज्ज-बरेली जगज्ज-बरेली द्वारा गाटा सं० 732 (सीज एरिया 2.5 एकड़), घाम-भागीतीदेई तहसील-सुनार, जगज्ज विभाग पर खनन कार्य 27 सीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित), धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जगज्ज-गिवासी में स्थापित आपसी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आठवानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कतिबंधन एवं बोर्ड द्वारा निर्गत साहजिग शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आठवा में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संशोधित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सखम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री० शाह पुत्र श्री जगज्ज अली शाह, गिवासी-घाम-हरहरपुर दुहा शुभासी शाना-बहेड़ी, जगज्ज-बरेली द्वारा गाटा सं० 732 (सीज एरिया 2.5 एकड़), घाम-भागीतीदेई तहसील-सुनार, जगज्ज विभाग पर निर्गत साहजिग शर्तों का अनुपालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सखम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को निरन्तर चालू रखने, आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिव्ययित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति की 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की मुद्रि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सखम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, गिवासी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उचित कार्यवाही नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत में उद्योग को तत्काल निरीक्षण कर आठवा 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6156

संदर्भ सं०

Ref. No H05701/ C-2/NGT-67/SCN/2024

संख्या में

दिनांक

Date 12.01.2024

मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले प्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले प्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लैंड एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगोतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कह जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (पद्यासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय पर्यावरण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राक्कानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए पद्यासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पद्यासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्ता शर्तों को अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक स्वस्थ को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पद्यासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोहनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० एस०आर० डेवलपर्स, प्रो० श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी-सा.कोरोनेशन कालिंदी विले प्लैट संख्या-402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लैंड एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगोतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपमें 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिराका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सहायक अधिकारी के अंतर्गत कार्यवाही के लिए

(Signature)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अंतर्गत निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(Signature)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मृत्ता-2)

(Signature)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720628, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

विवेक सिंग
10/01/2024
viveksingh (manager)
8052873988

TC-12 V, Vibhuti Khanda, Gomti Nagar,
Lucknow 226 010
Phone : 0522 2720628, 2720831
Fax : 0522 2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

6157



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05702/ C-2/NGT-67/SCN/2024

दिनांक

Date - 12.01.2024

सेवा में,

श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-सुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की अध्यक्षानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की अध्यक्षता में समिति द्वारा उद्योग इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपकी औद्योगिक संरचना को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संशोधित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धनाथ सिंह, निवासी-592घ/53सी, राजीव नगर, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 180/2 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-सुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली सिंगुल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अन्वेषण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिवसित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सख्त अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कठोर बचाव नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी करण बचाव नोटिस के संबंध में उद्योग का अवरुध निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मूला-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

19/1/2024
935823054

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05704/ C-2/NGT-67/SCN/2024

शेष में,

दिनांक

Date - 12.01.2024

मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आगरवेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी देवी पाण्डेय, गिवासी-गोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, रथाई पता-हिममतपुर, मोटा हल्द्व, स०-लालकुर्जा, हल्द्वानी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आगरवेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी देवी पाण्डेय, गिवासी-गोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिममतपुर, मोटा हल्द्व, स०-लालकुर्जा, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-8 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-तुंगार, जनपद गिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कक्षा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-गिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत नगमनाएँ जारी जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण को रोकना हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत स्वयं स्वयं से अनुमोदनोपरांत गिम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि वहाँ न खनन पट्टाधारक मे० करुणा कन्साल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आगरवेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी देवी पाण्डेय, गिवासी-गोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिममतपुर, मोटा हल्द्व, स०-लालकुर्जा, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-8 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-तुंगार, जनपद गिर्जापुर पर निर्गत गाइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि वहाँ न स्वयं अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि वहाँ न आपको उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचना कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना समझौताकरण द्वारा पत्र प्राप्ति को 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

राक्षस अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न।

प्रतिलिपि:- गिम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमध जो इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

टी.सी. - 12 वीं विद्युत खण्ड, गोकुली नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720833

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppccb.com

वेबसाइट : www.uppccb.com

T.C. - 12 V. Vidyut Khand, Gokuli Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720833

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppccb.com

Website : www.uppccb.com

जांच किया -
प्रमाणित है -
3935335863
20.01.2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6160

संदर्भ सं०

Ref. No H05705/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री ० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आयररेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी देवा पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, रथाई पत्ता-हिममतपुर, मोटा हल्दु, तह०-सातकुआँ, हजाराजी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक श्री ० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आयररेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी देवा पाण्डेय
निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पत्ता-हिममतपुर, मोटा हल्दु, तह०-सातकुआँ, हजाराजी, जनपद-नैनीताल
द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-6 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मंगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन उद्योग का
लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (परासंशोधित) की
घाटा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खान इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से
दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय पर्यावरण
एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण
नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन
इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए
जाने की सन्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण)
अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संचय
को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981
यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत रक्षण स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री ० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा० लि०, आयररेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी देवा
पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पत्ता-हिममतपुर, मोटा हल्दु, तह०-सातकुआँ, हजाराजी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand No-6 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-मंगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद
मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली निर्यात
आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचना कर दी जाए।
उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
उपरोक्त निर्देशों की मुद्रित कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्मित

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त उद्योग पर
नोटिस की प्रति उद्योग स्थानी को प्राप्ता करता हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में परामर्श करे।
निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी विभूति खण्ड, गौरी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
9935335863
12-01-2024

T.C - 12 V, Vibhuti Khand, Gauri Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05706/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मै० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय
पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई
दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-तालकुआँ, हल्दानी,
जनपद-नैनीताल

यह कि खनन पट्टाधारक मै० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-तालकुआँ, हल्दानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand NO.-7 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यालयीय क्रिय जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक कार्य को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मै० करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा०लि०, डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, निवासी-मोहल्ला-153/1, जसोला, नई दिल्ली, रथाई पता-हिम्मतपुर, मोटा हल्दू, तह०-तालकुआँ, हल्दानी, जनपद-नैनीताल द्वारा गाटा सं० 705 Khand NO.-7 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमध को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम से उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

टीसी - 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

TC - 12 B, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

3935335863
2001/2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6162

संदर्भ सं०

Ref. No H05707/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद
यादव, निवासी-ग्राम-अहिरोली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली
मडियाहू, जनपद-जौनपुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरोली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मडियाहू, जनपद-जौनपुर द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की अध्यक्षानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग वास वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आड़ापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संचय को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सखन स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० कमला शंकर यादव पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-अहिरोली, पोस्ट-शीतलगंज, थाना कोतवाली मडियाहू, जनपद-जौनपुर द्वारा गाटा सं० 728 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सखन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु जेन्द्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अपेक्षा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्पष्ट आपका का होगा।

स्थान अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी जरूरत बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

हॉली - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

कोई-वस्ता
किशा-गिशा

20/01/2024

1 C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522 2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

6163



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05708/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो०-६१ग, कटवा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो०-६१ग, कटवा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-मुत्तार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षेपक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यावाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक स्वयं को वायु प्रदूषण की संरक्षण हेतु संभावित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवारी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवारी मो०-६१ग, कटवा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 732 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-मुत्तार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तात्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अथवा हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतास को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्ति कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस की राख में बुरोस का अन्तर्गत निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौरी नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया शोला मन्डी

शोला मन्डी

9127727170

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gauri Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6164

संदर्भ सं०

Ref. No H05709/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में

दिनांक

Date 12.01.2024

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-६१ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी

यह कि खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-६१ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 737 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कसौटी एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आन्वयिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में संशोधित आख्यानानुसार इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री रामसागर मिश्र, निवासी ग्राम-मिश्रपुर, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो०-६१ग, कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी द्वारा गाटा सं० 737 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज को संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्देश

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के साथ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोकुली नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया भोला मोहन

भोला मुन्शी

8127727170

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gokuli Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522 2720828, 2720831
Fax : 0522 2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05710/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, गिबारी- कन्हारी, ब्रह्मनगर,
राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र

यह कि खनन पट्टाधारक श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, गिबारी- कन्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-मुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु जिला स्तर पर जो जिते आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-49 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कमीशन एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री रमाशंकर दूबे पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे, गिबारी- कन्हारी, ब्रह्मनगर, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-मुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराशित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस धत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उग्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का आवाहन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

जादा रकम
अनुमोदन लिखित (28/1/24)
9795586579
20/1/2024



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6166

संदर्भ सं०

Ref. No H05711/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री निवेशय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी गौठ-भटवा
के भोखरी, तहसील-सदर, जनपद-गीरजापुर

दिनांक

Date 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री निवेशय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी गौठ-भटवा के भोखरी तहसील-सदर, जनपद-गीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-मुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आस्थानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कमीयत एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही करने जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक इकाई को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री निवेशय पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय, निवासी गौठ-भटवा के भोखरी तहसील-सदर, जनपद-गीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-मुनार, जनपद-मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उद्योग को नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग को अवगत कर निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया

श्री. निवेशय पाण्डेय

20/01/24

9936496626

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522 2720828, 2720831

Fax : 0522 2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



सदर्य सऱ

Ref. No H05712/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा से

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-गुरादाबाद

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-गुरादाबाद द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (परासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के आक्षेपक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य विद्ये गये निरीक्षण की आख्या में संलग्न द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए पञ्चासशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई किए जाने की ससुति की गयी है।

आतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पञ्चासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक गतिविधियों को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पञ्चासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि वयो न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-गुरादाबाद द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को सफल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि वयो न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली मिथुन आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि वयो न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरक्षित कर दी जाए।

उपरोक्त के संक्षेप में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी की प्रमुख पर्यावरण अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ 2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संक्षेप में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ 2)

मोहित शर्मा
किया गया
20/01/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6168

संदर्भ सं०

Ref. No H05713/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद

दिनांक

Date - 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (Khasra No. 40) (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथाराशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापत्र प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथाराशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह, निवासी-लाईन पार, चाऊ की बस्ती, जनपद-मुरादाबाद द्वारा गाटा सं० 1 Ka (Khasra No. 40) (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारियों को अनुमोदनोपरान्त निर्गत

[Handwritten Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

[Handwritten Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

[Handwritten Signature]

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गांगोली नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

नोटिस-वस्था
किमा जमा
20/01/2024

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gangoli Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

दिनांक

Date: 12.01.2024

संदर्भ सं०

Ref. No: H05732/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-बुनार,
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि खनन पट्टाधारक श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-बुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० Arajji No. 3 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-चकजाता तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु निम्न दिनांक है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 4 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई का संचालन बन्द रह गया एवं इकाई को निर्गत लीज दिनांक 12.03.2022 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उद्योग को वैध सार्वजनिक जल एवं वायु को प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिकोण से जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री सिद्धार्थ, प्रो०, पुत्र श्री रामजय श्री, ग्राम- चकजाता, तह०-बुनार, जनपद-मिर्जापुर द्वारा गाटा सं० Arajji No. 3 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-चकजाता तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर माइनिंग कार्य को यथावत् बन्द रखे जाने हेतु बन्दी निर्देश जारी कर दिया जाय।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली मिट्टी आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु कोन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरेखा 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाय।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अनिवार्य उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त करते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संक्षेप में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ 2)

प्राप्त किया

Rajesh

907307542363

20/1/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6170

संदर्भ सं०

Ref. No H05714/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी
मो०-रमेठी तरौरा, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी
प्रसाद वर्मा, निवासी मो०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग,
धाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो०-रमेठी तरौरा, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी मो०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, धाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 497 and 198 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर चकजाता सहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं जाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्धीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सख्त स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा, निवासी मो०-रमेठी तरौरा, शहर-हमीरपुर एवं श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, निवासी मो०-568ख/219, गीतापल्ली, आलम बाग, धाना-कृष्णा नगर, जनपद-लखनऊ द्वारा गाटा सं० 497 and 198 (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर चकजाता सहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्या न सख्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरान्त जारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अस्तित्व निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विगुति खम्ह, गांधी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

युक्तियुक्त
राजेश
20.1.24
6386265552

T.C-12 V, Vignoti Khamb, Gandhi Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522 2720828, 2720831
Fax : 0522 2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



सदर्य सं०

Ref. No H05715/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री
पुरहु सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र

यह कि खनन पट्टाधारक श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पुरहु सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 732 (बीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (पद्यासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्षतिकरण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए पद्यासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई की जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पद्यासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पद्यासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कार्रवाया बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो० श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पुरहु सिंह, निवासी-इमरिती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 732 (बीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संघालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिकर्षि अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्रवाया बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

यु.ए.सी.
218/11
19.1.24
658626552



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सर्वर्ग सं०

Ref. No. H05716/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-बेनारी, रोहतास, बिहार

दिनांक

Date: 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-बेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 18 (लीज एरिया 2.5 एकड़) ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहगति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक गतिविधियों को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संकालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नरायनपुर, पोस्ट-बेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 18 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली बिजली आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उद्योग को बंद नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी करण वक्ताओ नोटिस के संचालन प्रक्रिया को तत्काल निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

पूरा किया

उद्योग पर बंद नोटिस

12/1/24

88 25 165217

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6173

संदर्भ सं०

Ref. No H05717/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date : 12.01.2024

श्री ० राधे नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री राधे नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार

यह कि खनन पट्टाधारक श्री ० राधे नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री राधे नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 21 (लीज एरिया 2.5 एकड़) ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षेपक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई करने जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक समूह को वायु प्रदूषण की संरक्षण हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री ० राधे नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री राधे नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 732 Serial No. 21 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिविरोधित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोरखपुर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

व्याप्त किया
रुजि 21 फरवरी 2024
12/1/24
25/1/24

T.C - 12 V, Vibhuti Khand, Gora Naga, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6174

संदर्भ सं०

Ref. No H05718/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सोना में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-घुनार, जनपद-गीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-घुनार, जनपद-गीरजापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं थोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत आदेश जारी किए जाने की संरक्षित की गयी है।

आत जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्धीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संचालन को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनीपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि यहाँ न खनन पट्टाधारक श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ, निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना-अदलहाट, तहसील-घुनार, जनपद-गीरजापुर द्वारा गाटा सं० 730 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तात्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि यहाँ न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को गिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि यहाँ न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनीपरान्त निर्गत

[Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कार्रवाही करके नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

[Signature]

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

[Signature]

टी.सी. - 12 वी, विष्णु खण्ड, गोकुली नगर
संखनज - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

गुप्त प्रेषित 20-01-24
मोडरन
9335405104

T.C - 12 V, Vishnu Khanda, Gokuli Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05719/C-2/NGT-67/SCN/2024

संघ में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार

यह कि खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 20 (सीज एरिया 3 एकड़) ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कला जायगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्षतिग्रस्त एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापत्र प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विकसित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक मे० सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, प्रो० श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० देवराज सिंह, निवासी ग्राम-नारायनपुर, पोस्ट-चेनारी, रोहतास, बिहार द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 20 (सीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगीतीदेई तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को दस्तक प्रभाव से बंद कर दिया जाय।
2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली दिशु 1 आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्या न आपके उद्योग के विकसित उत्सर्जन अवधि हेतु क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित कर दी जाय। उपरोक्त के संक्षेप में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संक्षेप में उद्योग का अस्तित्व निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

गंगा क्षेत्र के नदी
निलाने पर नोटिस जारी किया गया।
12/01/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 की विद्युत खम्भ, भोगी मगर,

संख्या - 226-010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Centre Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 6176

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05720/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही,
पोस्ट-पटिहटा, तहसील-घुनार, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-घुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial NO. 19 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहनति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-घुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial NO. 19 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-घुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विलुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टो.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

डा. अशोक कुमार
अध्यक्ष, मिर्जापुर
12/1/24

संदर्भ सं०

Ref. No H05721/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही,
पोस्ट-पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 28 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-मगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद-मीरजापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मीरजापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व० जगदीश, निवासी-रामरसही, पोस्ट-पटिहटा, तहसील-धुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 180/2 Serial No. 28 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-मगीतीदेई तहसील-धुनार, जनपद-मीरजापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अखत निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त 2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05722/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार,
जनपद- मीरजापुर

दिनांक

Date: 12.01.2024

यह कि खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आक्षापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जन्हित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्धीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक स्थल को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोक जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुगोदनीपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू, निवासी-देवनाथपुर, अधवार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 703 (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-भगौतीदेई तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी को अनुगोदनीपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी अवरण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gort. Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No H05723/C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

भे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र
स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र

यह कि खनन पट्टाधारक भे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 157 (लोज एरिया 400 एकड़), ग्राम-सोनपुर सहस्रली-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्षतिग्रस्त एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहस्रली सतों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासशोधित के अन्तर्गत कार्रवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक भे० विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज, प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व० रामरुचि पाठक, निवासी-मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद-सोनभद्र द्वारा गाटा सं० 157 (लोज एरिया 400 एकड़), ग्राम-सोनपुर सहस्रली-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना रपटौतिकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की मुद्रि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्थानी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी करण बताओ नोटिस के सक्ता में उद्योग का अवांछित निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खार्न, गोमती नगर,

लुकरन - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vibhuti Kharni, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

सुप्रिन पाठक (सक्रिय)
प्राप्त किया

7906376457



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6180

संदर्भ सं०

Ref. No H05724/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, कायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र
स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवारी प्लॉट नं०-०५, इनसाइड
गोविन्द नारायण सिंह गेट, यूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (MP)

यह कि खनन पट्टाधारक मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, कायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवारी प्लॉट नं०-०५, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, यूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (MP) द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे बढ़ाया जाना जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पली है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन भट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आड्यापक प्राधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक सटव को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संवर्धित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, कायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व० शिव नारायण सूर्यवंशी, निवारी प्लॉट नं०-०५, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, यूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (MP) द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत गाइनिंग लीज की संवर्धन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि उनकी औद्योगिक इकाई को गिलने वाली डिग्री आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केन्द्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संश्रय में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उद्योग बलाओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बलाओ नोटिस के साथ में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-2)

टीसी - 12 वी, विठ्ठल खण्ड, गोपाली नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C. - 12 V, Vithhal Khanda, Gopal Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Received
J.P.C.
20/01/24
PRAD05P/2024
2087786397

6181



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

दिनांक

Ref. No H05725/ C-2/NGT-67/SCN/2024

Date: 12.01.2024

सेवा में

मे० मी शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितार
सिंह, निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-बुनार,
जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० मी शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितार सिंह निवासी ग्राम-अदलपुरा थाना व तहसील-बुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद-मीरजापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मीरजापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 व दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय कर्तव्य एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आश्रयक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई की जाने की सारसुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सागान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संघालित होने से रोक जाय। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुभूतनोपरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न खनन पट्टाधारक मे० मी शीतला स्टोन, पा० श्री मिथिलेश सिंह पुत्र श्री रामचरितार सिंह निवासी ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-बुनार, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 2 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद-मीरजापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्कार प्रभाव से रूढ़ कर दिया जाय।
 2. यह कि क्या न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से रूढ़ कर दिया जाय।
- उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्या न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु कर्तवीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाय। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी पर्यावरण संरक्षण नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में आपकी निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृत्त-2)

टी.सी. - 12 की, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
संयंत्रक - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

13/01/2024
6752529404

T.C-12 V, Vibhuti Khanda, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6182

संदर्भ सं०

Ref. No H05726/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date . 12.01.2024

मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कता व्यवसाय (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथाराशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय नुकसान एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्यापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथाराशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथाराशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुसूदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० आर०के० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह, निवासी-गऊघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० I Ka (लीज एरिया 5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-धुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपके औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अधिष्ट हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपसे 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के समय में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों को पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुसूदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के समय में उद्योग का अवरतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौरी नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त
राज सिंह
19.1.24
638626552

T.C - 12 V, Vibhuti Khand, Gauri Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05727/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date - 12.01.2024

मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा,
निवासी ग्राम-बिरगउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरगउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एट नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय अतिक्रमण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत राहगति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपको औद्योगिक सम्यक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० शैलपुत्री, प्रो० श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम-बिरगउवा, नकहरा, जनपद-मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आगकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आगके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरेखा 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए। उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पूता-2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के साथ में उद्योग पर अत्यंत निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पूता-2)

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

Security Guard

Suraj Kumar

05228292611

19/01/24

Time - 3:45 PM

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

6184

संदर्भ सं०

Ref. No H05728/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date - 12.01.2024

श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतु, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार, जनपद- मीरजापुर

यह कि खनन पट्टाधारक श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतु, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 170 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मीरजापुर पर खनन कार्य हेतु लीज विहित है किंतु आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मीरजापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 में दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आस्थानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय पर्यावरण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आजापक प्राधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में संकेत द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्रवाई किए जाने की ससुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अर्धीन यह आवश्यक है कि आपकी औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत रक्षाम स्तर से अनुमोदनोपसर्ना निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है -

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतु, निवासी ग्राम-सोनपुर, तहसील-बुनार, जनपद- मीरजापुर द्वारा गाटा सं० 170 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-बुनार, जनपद मीरजापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न रक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिविहित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

रक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपसर्ना विचार

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त - 2)

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के रकथ में उद्योग का अस्तित्व निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त - 2)

टी.सी - 12 वी, विभुन क्वार्टर, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C - 12 V, Vibhuti Khand, Goutami Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

12/01/24

6185



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No H05729/ C-2/NGT-67/SCN/2024

सेवा में,

दिनांक

Date: 12.01.2024

मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा० लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री
वैजनाथ, निवासी- 51415 [ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका,
जनपद-वाराणसी

यह कि खनन पट्टाधारक मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा० लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी- 51415 [ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिससे आगे उद्योग कड़ा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आकृष्टानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

समुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही करने जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनीयपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे० लाईफ़मैप बिल्डर्स प्रा० लि०, श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी- 51415 [ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेंट, लंका, जनपद-वाराणसी द्वारा गाटा सं० 142 (लीज एरिया 2.5 एकड़), ग्राम-सोनपुर तहसील-चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिंग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों की निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करे कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अर्थात् हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपरेखा 10000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिवारिता कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर प्रस्तावित उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त जारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग जन अत्यायन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी० सी - 12 वी विन्मति खण्ड, गामती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

डा. अ. शिमा

मौला माफा

मुन्शी

8127727170

T.C. 12 V, Vishnu Khant, Gomat Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0070/C-265/M2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स महाकाल माइनिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन,
ग्राम व पो०-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-112662/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-01.01.2021 तथा संदर्भ संख्या-112664/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-01.01.2021 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-10350793 एवं 10350876 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 60071/C-1018/M2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स उमा स्टोन वर्क्स,
ग्राम-सोनपुर, अहरौरा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-89349/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-06.02.2020 तथा संदर्भ संख्या-89351/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-06.02.2020 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-7800811 एवं 7800847 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0072/I-1315/CTO/m2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स आईडियल विजन्स,
ग्राम-सोनपुर, अहरौरा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।


विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-159700/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-17.08.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16958834 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G10087/R-1103/mzp/consent/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स बसन्त कुमार (पूर्वनाम-राज एसोसिएट क्रशर प्लाण्ट),
ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-160019/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-27.07.2022 द्वारा उद्योग के पूर्वनाम-राज एसोसिएट क्रशर प्लाण्ट के नाम से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

08/02/2024
(यु०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-17022726 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0073/R-1345/CTO/m2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स राज लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज,
ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा पूर्व में माह-जून एवं जुलाई, 2023 की अवधि में निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था, जिससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-132211/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-27.07.2021 तथा संदर्भ संख्या-132212/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-27.07.2021 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-12893706 एवं 12893732 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G10074/M-1540/MZP/CTO/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स माँ शीतला स्टोन (स्टोन क्रशर यूनिट),
ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।


विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-155660/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-01.08.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16133716 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0075/P-1539/MZP/CTO/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स पी०बी०आर० इन्फ्राटेक प्रा०लि० (यूनिट-4),
ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-156962/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-26.05.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16425373 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

610076/P-1358/CTO/MZP/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स सत्यनारायन सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० (पूर्वनाम-मेसर्स पी०बी०आर० इन्फ्राटेक प्रा०लि०),
(स्टोन क्रशर यूनिट-3), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-156981/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-28.05.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16430909 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0077/C-654/m2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स इलिट स्टोन,
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-159043/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-22.08.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16838419 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 670078/C-43/m2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर),
ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी तथा स्थल पर अन्य प्लाण्ट बोर्ड से बिना सी०टी०ई० प्राप्त किये स्थापित कर बिना सी०टी०ओ० प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-118220/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 तथा संदर्भ संख्या-118243/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-10930118 एवं 10932180 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G10079/C-386/M2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स निलमा सिंह (पूर्वनाम-माँ विन्ध्यवासिनी स्टोन वर्क्स),
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया। सहमति शर्तों का अनुपालन किये विना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा पूर्व में माह-जून एवं जुलाई, 2023 की अवधि में निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था, जिससे परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-184739/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2023 दिनांक-15.06.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-21281746 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)

राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-231216

ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)

Robertsganj, Sonbhadra-231216

E-mail: rosonbhadra@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G10080/C-42/MZP/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स राजेश भाई पटेल,
आ०नं०-180/2, ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-106718/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-14.10.2020 तथा संदर्भ संख्या-106719/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-14.10.2020 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-9765774 एवं 9765808 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

670081/C-376/MZP/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स रऊफ खान,
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।


विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-167231/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-19.10.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-18187635 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0082/C-364/MZP/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स श्री कृष्णा स्टोन क्रशर,
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-160311/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-27.07.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-17077936 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 670083/C-22/M2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स रिया इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-त्रिदेव स्टोन),
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।


विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-159295/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-28.06.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16883271 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G70084/N-1541/m2P/CTO/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन,
ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-132853/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-02.08.2021 तथा संदर्भ संख्या-132855/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-02.08.2021 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-12961453 एवं 12961611 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

G0085/S-1403/CTO/M2P/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स श्री बजरंग स्टोन,
ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गार्ड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-159528/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-14.07.2022 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-16920655 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:

670086/MR-07/2024

दिनांक:-

Date: 08/02/2024

सेवा में,

मेसर्स राजेश भाई पटेल (स्टोन क्रशर यूनिट),
आ०नं०-704मि०, ग्राम-भगौतीदेई, पो०-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को निर्गत सहमति (वायु/जल) आदेश को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि आपका उद्योग मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आच्छादित है। उक्त प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालनार्थ समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार, उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति (वायु एवं जल) आदेश में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाता हुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उद्योग का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी। उक्त प्रकरण में समिति द्वारा उक्त से पूर्व माह जून एवं जुलाई, 2023 में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। तत्समय सहमति शर्तों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया था। आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उपरोक्त से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। सहमति शर्तों का अनुपालन किये बिना उद्योग द्वारा उत्पादन कार्य किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। ऐसा किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों की अवहेलना किये जाने का सूचक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन उक्त प्रकरण में समिति की निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों एवं सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उक्त संदर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-109666/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-13.11.2020 तथा संदर्भ संख्या-109668/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-13.11.2020 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश को एतद्वारा रिवोक (Revoke) किया जाता है। अग्रेतर आपको सचेत किया जाता है कि राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त स्टोन क्रशर उद्योग का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि UPOCMMS पोर्टल पर उक्त उद्योग के एप्लीकेशन संख्या-10028928 एवं 10028993 के अनुक्रम में निर्गत सहमति आदेश को विलोपित कर रिवोक आदेश को अपलोड करना चाहें।

क्षेत्रीय अधिकारी